न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 5/2017 (डूंगरपुर डिक्री)

मोहन पिता सोमजी कलासुआ मीणा, निवासी सोहनवडली, तहसील चिखली, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती रतन पुत्री जुरजी उर्फ जोरजी पारगी पत्नी फुला रडाल मीणा, निवासी खिरखाईयां, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. बापू पिता फुला रडाल मीणा, निवासी खिरखाईयां, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. श्रीमती अमरी पुत्री जुरजी उर्फ जोरजी पारगी पत्नी हरदार रडाल मीणा, निवासी खिरखाईयां, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा –223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध उपखण्ड
अधिकारी, सीमलवाड़ा निर्णय व डिक्री
दिनांक 25–10–2016 प्र.सं. 38/2009

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री नरेश जोशी अभिभाषक रे.सं. 1 से 3
3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 4

———::———

निर्णय **दिनांक 22–11–2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलान्ट, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 तथा जयसिंह व श्रीमती बदी के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91. 92–2, 183, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर

निवेदन किया कि वादिया रतन व प्रतिवादी संख्या 1 आपस में सगी बहने होकर एक ही पिता की संतान है, जिनकी मां का नाम कारी था। वादिया की मां कारी व पिता जूरजी उर्फ जोरजी का देहान्त हो चुका है। वादिया का स्वास्थ्य खराब होने से पैरवी हेतु बापू को वादी संख्या 2 बनाया, जिसे प्रकरण की सम्पूर्ण जानकारी है। वादिया के पिता के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम सोहनवडली में स्थित है, जिसका संवत् 2008 में खाता संख्या 5 होकर भूमि ठिकाना खास के नाम पर होकर आसामी के रूप में वादिया के पिता का नाम अंकित है, जिनका खसरा नंबर 253, 254, 309, 346, 347, 349 होकर रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा था। बन्दोबस्त के दौरान तुलनात्मक नंबर बने जो वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार हैं। संवत् 2022 में उक्त भूमियों का खाता संख्या 8 वादिया के पिता के नाम दर्ज हुआ, जिनके खसरा नंबर 490, 491, 493, 568, 569, 570, 571, 572, 573 रकबा 19 बीघा 6 बिस्वा है। वादिया के पिता का खसरा नंबर 490 में पुराना मकान था जो जीर्ण शीर्ण होने के कारण नष्ट हो गया, वादिया व प्रतिवादी अमरी खिरखईयां में रहने के कारण 2 वर्ष पूर्व जब करीब 3 माह तक अपने खेतों में नहीं जा पाये, जिसका नाजायज लाभ लेते हुए प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने वादिया के पिता के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 568 में अनाधिकृत प्रवेश कर कुछ हिस्से में मकान निर्मित करवा लिया, जिसकी जानकारी वादिया को अपने खेतों पर जाने से हुई। इस पर वादिया ने कब्जा हटाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि अभी तो सिर्फ मकान बनाया है, थोड़े दिन में पूरी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। इस पर वादिया ने पुलिस कार्यवाही व कोर्ट जाने की कहा तो प्रतिवादी मोहन उसके घर आया और हाथा जोड़ी करने लगा और 6 माह में नया मकान बनाकर यह मकान गिरा देने को कहा, किन्तु आज तक मकान नहीं गिराया तथा कहा कि यह जमीन हमारे खाते में है, हम मकान नहीं हटायेंगे। इस पर वादिया ने पटवारी से सम्पर्क किया तो जानकारी मिली की वादिया के पिता के खाते की जमीन में उसकी बहन अमरी का नाम तो आ गया, उसके स्वयं का नाम नहीं आया तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का नाम भी है, जिससे सम्पूर्ण आवश्यक नकले निकलवाई गयी। वर्ष 1977 में वादिया के पिता रतन की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 26–10–1977 को स्वीकृत हुआ, जिसमें वादिया की मां कारी का नाम तो सही दर्ज किया गया, लेकिन प्रतिवादी

जैसल, मोहन के पिता सोमजी व बदी के पति सोमजी को वादिया के पिता जोरजी का पुत्र बताया जो गलत है, क्योंकि जोरजी के कोई पुत्र लड़का नहीं था, जो उसी नामान्तरकरण में पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 13–10–77 में ''लड़के नहीं होना पत्नी होना'' स्पष्ट अंकित है। इतना ही नहीं राजहेग, कैलाश, जेसल, हकरा, मोहन पिता सोमजी श्रीमती बदी पत्नी सोमजी का नाम बाद में जोड़ा गया, जबकि श्रीमती बदी प्रतिवादी संख्या 4 के पति सोमजी के पिता का नाम वेसता उर्फ वेसात था, जिनका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 6 अनुसार है, जिसके अनुसार हीरा कलासुआ के दो पुत्र वेसता उर्फ वेसात व रूपा हुए। वेसात के पुत्र रंगा, धना व सोमजी हुए। सोमजी के वारिस राजेहंग, कैलाश, जेसल, हकरा, मोहन व बदी हुए, जिनमें से कैलाश, जेसल व हकरा की मृत्यु हो चुकी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अमरी का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 7 अनुसार है, जिसके अनुसार बिजिया पारगी का पुत्र जूरजी उर्फ जोरजी हुआ, जिसके वारिसान पत्नी कारी व 3 पुत्रियां वादिया रतन, प्रतिवादी अमरी व सोमी हुई, जो फोत हो चुकी है। यहां यह भी बताया जाना आवश्यक है कि पूरजी की मां का नाम बदी था, जिसने प्रथम विवाह जूरजी के पिता बिजिया से किया था, लेकिन फिर बिजिया की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के मूल पुरूष हीरा कलासुआ से नाता विवाह किया, उक्त नाता विवाह से वेसात, नानिया व रूपा हुए। वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पूर्वजों का कोई लेना देना नहीं है तथा जूरजी की पुत्री वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 होने से एक मात्र खातेदार हैं तथा उन्हीं का कब्जा चला आ रहा है। सम्पूर्ण खाते की नकल निकलवाने पर जानकारी हुई कि नामान्तरकरण संख्या 33 दिनांक 25–11–82 जो वादिया की मां कारी की मृत्यु पर खोला गया, उसमें प्रतिवादी संख्या 1 अमरी का नाम ही दर्ज किया गया वादिया रतन का नाम दर्ज नहीं किया गया, जो दर्ज किया जाना आवश्यक था। नामान्तरकरण संख्या 20 सोमजी को जोरजी का लड़का बताकर खोला गया वह भी गलत है, क्योंकि सोमजी वेसात का लड़का था। अतएवं नामान्तरकरण संख्या 20 व 33 वादिया के मुकाबले प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है, जिन्हें निरस्त किया जावे तथा वादीया को वादग्रस्तु आराजी नंबर में प्रतिवादी संख्या 1 अमरी के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का नाम हटाया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा व विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया एवं जोरजी का गोद पुत्र सोमजी होना बताया। प्रतिवादी के जवाबदावे के खण्डन का जवाबुल जवाब भी पेश हुआ, जिसमें सोमजी को जोरजी का गोद पुत्र नहीं होना बताया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 अमरी की ओर से सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत हुआ।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर दिनांक 26–08–2010 को निम्नानुसार 8 तनकियां कायम की :–

1. आया नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 26–10–77 एवं 33 दिनांक 25–11–82 ग्राम सोहनवडली तहसील सीमलवाडा को वादिया शून्य एवं प्रभावहीन घोषित कराने की अधिकारी है ? .....वादीगण
2. आया वादिया संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजी नंबर 490, 491, 493, 568 से 573 किता 9 रकबा 19 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम सोहनवडली तहसील सीमलवाडा की खातेदार काश्तकार एवं काबिज हैं ? .....वादीगण
3. आया वादिया खसरा नंबर 568 में निर्मित मकान को विध्वंस कराकर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है ? .....वादीगण
4. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं ? .....वादीगण
5. आया वादिया के पिता जोरजी ने प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता सोमजी को गोद लिया था। इस प्रकार सोमजी के फोत होने पर प्रतिवादीगण 2 से 4 का इन्द्राज उक्त आराजी पर हुआ। इस विनाय पर दावा खारिज योग्य है ? .....प्रतिवादी संख्या 2 से 4
6. आया विवादित आराजी पर वादिया की जानकारी में 40 साल से प्रतिवादी 2 से 4 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस विनाय पर दावा वादीगण खारिज योग्य है ? .....प्रतिवादी संख्या 2 से 4
7. आया विवादित आराजी सम्पूर्ण पर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का कब्जा है इसलिए वादिया का स्थाई निषेधाज्ञा का दावा मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज योग्य है ? .....प्रतिवादी संख्या 2 से 4
8. अनुतोष ?

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 25–10–2016 से वादिया का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 27–12–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील नरेश जोशी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अपीलान्ट अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिया गया कि विवादित भूमि पर बने मकान पर वह अपने पिता के जीवनकाल से रह रहे हैं तथा वादग्रस्त भूमि पर 40 वर्षो से निरन्तर बिना बेरोकटोक के उनका कब्जा चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मयाद के बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया गया है। वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। वादिया ने अनावश्यक वादकरण पैदा किया है। वादिया एवं प्रतिवादिया अमरी ने दुरभिसंधि की है, जो प्रतिवादी अमरी के जवाबदावे से ही स्पष्ट है, लेकिन इस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। प्रदर्श 8 न तो ग्राम पंचायत का क्रमांक है, न डिस्पेच नंबर, न सरपंच सचिव के हस्ताक्षर हैं। दौराने वाद प्रतिवादी जयसिंह उर्फ जेसल व बदी की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलार्थी ही उनका कायम मुकाम है जो रेकार्ड पर है। अपील अवधि में पेश है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, पेश शुदा रेकार्ड, बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात पर मनन किया गया तो यह पाया कि वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 रतन जोरजी की पुत्री है तथा इसकी साक्ष्य ग्राम पंचायत द्वारा दी गयी है तथा इस बाबत् वादिया की बहस

प्रतिवादी अमरी द्वारा सहमति का जवाबदावा भी प्रस्तुत किया गया है। अतएवं जोरजी की भूमि में वादिया जोरजी की पुत्री होने के कारण उसकी भूमि में हक व अधिकार रखती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित नामान्तरकरणों में रतन को वंचित किया जाना तथा अपीलान्ट व उसके पिता का नाम गलत दर्ज हो जाना माना है। अपीलान्ट का खातेदार एवं विधिक उत्तराधिकारियों के विरूद्ध 40 वर्षो का कब्जा हो, इस बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। इन परिस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया का वाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए डिक्री किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–10–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–11–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

मोहन पिता सोमजी कलासुआ मीणा निवासी सोहनवडली, तह0 चिखली, जिला डूंगरपुर। बनाम **श्रीमती रतन पुत्री जुरजी उर्फ जोरजी पारगी पत्नी फुला रडाल मीणा, नि0 खिरखाईयां, तह0 सीमलवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**05 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सीमलवाड़ा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**25**.....माह.....**10**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**.....माह.....**11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री प्रवीण शुक्ला ....**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री नरेश जोशी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–10–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**22**.....माह.....**11**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।